बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग -

पत्रांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-256/2019 - 2080

प्रेषक.

संजय दूबे भा० प्र० से० विशेष सचिव।

सेवा में.

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना।

योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य विषय:--योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाब्यूर्ड सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के खगड़िया जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, खगड़िया के अधीन खगड़िया प्रखन्ड के नन्हकू मंडल टोला से मथार पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 रोड के मरगंग धार के दुर्गापुर घाट 5x24.5 मी0 स्पैन के उच्च स्तरीय पुल निर्माण के पहुँच पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 0.415 कि0 मी0 निर्माण की राशि रू० 125.761 लाख, एवं पंचवर्षीय अन्रक्षण की राशि रू० 3.379 लाख अर्थात कुल राशि 129.14 लाख (एक करोड़ उन्तीस लाख चौदह हजार रूपये) है मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूजीगतं परिव्यय— 103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में बिहार राज्य के खगड़िया जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, खगड़िया के अधीन खगड़िया प्रखन्ड के नन्हकू मंडल टोला से मथार पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 रोड के मरगंग धार के दुर्गापुर घाट 5x24.5 मी० स्पैन के उच्च स्तरीय पुल निर्माण के पहुँच पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 0.415 कि0 मी0 निर्माण की राशि रू0 125.761 लाख, एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि रू० 3.379 लाख अर्थात कुल राशि 129.14 लाख (एक करोड़ उन्तीस लाख चौदह हजार रूपये) है मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021—22 एवं 2022—23 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।

3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली

जायगी।

4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड— 37—4515001030105 है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत

वित्तीय वर्ष 2021–22 में 300.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।

6. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सहरसा एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया यह सुनिश्चित करेंगे कि यह

योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।

8. इस योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0— मु० अ०-४ (मु०) २१० यो0-03-256 / 2019 के पृ0 सं0-06 / टि0 पर प्राप्त है।

9. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0— मु० अ०-४ (मु0) रा0 यो0-03-256 / 2019 के पृ0 सं0-08 / टि0 पर प्राप्त है।

14/7/20U.

G

10. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान / प्रकिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की

11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टिताओं / विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।

12. वित्त विभाग के संकृत्य संख्या—3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित नियमावली के सुंसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की

उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-256/2019 के पृ0 सं0-10 /टि० पर दिनांक 7.7.204 को प्राप्त है।

14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनीवेनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयाविध के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित

16. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवतापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उतरदायी माने जायेंगे।

17. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को

भेजी जाये।

विश्वासभाजन

14/7/2021

(संजय दूबे) विशेष सचिव

/पटना, दिनांक-15 /7/२०२ ज्ञापांक - मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-256/2019 - ९०६० प्रतिलिपि— महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-256/2019 - १० ८०

/पटना, दिनांक-15/7/२०३

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निभी गिर्धा विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-४ (मु०) रा० यो०-०३-२५६ / २०१९ - १० १०

/पटना, दिनांक-15/7/20:

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (आय—व्यय शाखा) / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, खगड़िया / उप विकास, आयुक्त खगड़िया / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग / सचिव राह इम्पावर्ड ऑफिसर ब्राडा / मुख्य अभियंता—2, पटना ग्रा० का० वि० / मु० अ०—4 (मुख्यालय) ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, खगड़िया / मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड; बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पॉचवीं मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई० टी० मैनेजर, ग्रा० का० वि० को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु मिया गिर्धा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित।

विशेष सचिव